कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, जिला – सूरजपुर (छ.ग.)

क्र./ 1011/जि.परि.अधि./ लर्निंग शिविर/ 2025 सूरजपुर दिनांक 15/09/2025

प्रति,

प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय– प्रतापपुर/प्रेमनगर
जिला–सूरजपुर(छ.ग.)

विषय :– छ.ग. राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में शिक्षार्थी लायसेंस शिविर का आयोजन किये जाने बाबत्।

संदर्भ :– कलेक्टर, महोदय जिला सूरजपुर के आदेशानुसार।

–––00–––

कृपया विषयान्तर्गत लेख है कि छ.ग. राज्य निर्माण के रजत जयंती वर्ष 2025 के अंतर्गत सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम के तहत् जिला सूरजपुर में स्थित शासकीय महाविद्यालय में परिवहन विभाग द्वारा शिक्षार्थी लायसेंस शिविर का आयोजन निम्नानुसार स्थल/दिनांक में किया जाना प्रस्तावित है :–

शिविर कार्यक्रम का विवरण :–

स. क्र.	शिविर दिनांक/दिन	शिविर स्थल	परिवहन सुविधा केन्द्र(पीएसके) जिनके आई.डी द्वारा लर्निंग लायसेंस प्रदाय की कार्यवाही की जावेगी।
1	17.09.2025/बुधवार	शासकीय महाविद्यालय प्रतापपुर	1. अमन च्वाईस एवं पीएसके सेंटर
2	19.09.2025/शुक्रवार	शासकीय महाविद्यालय प्रेमनगर	1. धरमेन्द्र पीएसके सेंटर

उपरोक्तनुसार शिविर स्थल/दिनांक में ऑनलाईन आवेदन संबधी प्रक्रिया शासन द्वारा विहित दर पर पूर्ण किये जाने हेतु शासन द्वारा अधिकृत लोक सुविधा केन्द्र/पीएसके स्टॉफ तथा परिवहन कार्यालय के स्टॉफ उपस्थित रहेंगे। उक्त लर्निंग लायसेंस शिविर हेतु कुल 02 सेट कम्प्यूटर, 01 प्रिन्टर, आवश्यक कुर्सी–टेबल तथा इन्टरनेट सुविधायुक्त दो कमरे उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे, ताकि शिविर का आयोजन सुनिश्चित हो सके।

क्रमशः पेज 02 पर......

कृपया अपने कार्यालयीन सूचना पटल पर निम्नानुसार जानकारी प्रसारित करने का कष्ट करेंगे :-

सूचना

आनलाईन आवेदन हेतु प्रक्रिया :- परिवहन विभाग की वेबसाईट https://sarathi.parivahan.gov.in/ में स्वयं अथवा च्वाईस सेंटर के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर अनिवार्य दस्तावेज जैसे 1. पता हेतु :- आधारकार्ड/निर्वाचन कार्ड/मूलनिवास आदि एवं 2. जन्मतिथि हेतु :- जन्म प्रमाण पत्र (पेनकार्ड/स्कूल सर्टीफिकेट आदि) 3. रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो 1 प्रति, के साथ नियत दिनांक को शिविर स्थल में स्वयं उपस्थित होने पर आवेदक को नियमानुसार शिक्षार्थी लायसेंस जारी किया जावेगा।

टीपः- आवेदक की उम्र 40 वर्ष से अधिक होने पर प्रारूप 1-ए में मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य है।

फीस - मोटरसायकल(एक वाहन वर्ग) 206 रू.

मोटरसायकल एवं कार (दो वाहन वर्ग) 356 रू.

टीप :- (आनलाईन आवेदन हेतु सुविधा केन्द्र/च्वाईस सेंटर को शुल्क पृथक से देय होगा)

जिला परिवहन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)

पृ. क्र./ 1011-ए/जि.परि.अधि./ लर्निंग शिविर/ 2025 सूरजपुर दिनांक 15/09/2025

प्रतिलिपि :-

1. अपर परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, परिवहन विभाग, की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला सूरजपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. श्री सरमन, परिवहन उप निरीक्षक, मोबाईल नम्बर 7999882692 शिविर के नोडल के रूप में आवश्यक समन्वय स्थापित कर शिविर का आयोजन सुनिश्चित करेंगे।
4. प्रभारी अधिकारी, ई-डिस्ट्रीक्ट मैनेजर को पत्र प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्तानुसार शिविर स्थल एवं दिनांक हेतु शासन द्वारा विहित दर पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवश्यक उपकरण सहित च्वाईस सेंटर के स्टॉफ, उपलब्ध करावे। **कृपया रोस्टर में अंकित पी.एस.के सेंटर की डयूटी उक्त कार्य हेतु न लगावें।**
5. सर्व संबंधित पीएसके...को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त रोस्टर अनुसार अपने से संबंधित शिविर स्थल में समय 11.00 बजे से 04.30 बजे तक अपने-अपने पीएसके आई.डी. के माध्यम से आवेदकों के आवेदन का स्क्रूटनी, बायोमैट्रिक, टेस्ट तथा प्रिंट कर आवेदक को शिविर स्थल में ही लर्निंग लायसेंस प्रदाय करेंगे। इस बाबत् अपना आवश्यक उपकरण एवं सिस्टम साथ लेकर जायेंगे।

जिला परिवहन अधिकारी
सूरजपुर (छ.ग.)